फर्द अहकाम

राजेश कुमार बनाम सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

संख्या 58/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		कार्यवाही आज के लिए प्रार्थी वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 20/6/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	20/6/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली का अवलोकन करने व बहस को मनन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से किया जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज मेरे द्वारा उद्घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो तथा बाद दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
58/2025	15/04/2025	20/06/2025

1. राजेश कुमार जयपुरिया पुत्र हंसराज जाति महाजन निवासी बी–9, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. गोदावरी पत्नि रामधन
3. सीताराम पुत्र रामधन
4. हीरालाल पुत्र रामधन
जातियान ब्राहमण निवासी ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :– वकील प्रार्थी।

दावा बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की शामलाती कयशुदा हक खातेदारी भूमि ग्रमा जमवारामगढ, तहसील जवमारामगढ, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 372 रकबा 4.5600है0 जिसके साबिका खसरा नम्बर 587 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का कयशुदा हिस्सा 4/9 दर हिस्सा 1/4 भाग (कुल रकबे का हि0 1/9 भाग) अर्थात 2 बीघा भूमि स्थित है। जिसको प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर दिनांक 03.06.2010 को अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 से खरीद किया है। जिसका नामा0 जरिये नामा0 सं0 1706 के द्वारा खौला जाकर प्रार्थी के नाम से जमाबन्दी संवत 2057–2060 मे अमल दरामद हो गया था। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के उपरान्त प्रार्थी अपने कार्य मे व्यस्त रहने लगा तथा अभी हाल ही में जब प्रार्थी ने दिनांक 10.05.2024 को हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी भूमि की नकल लेने के लिए सम्पर्क किया तो प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दौराने सेटलमेंट प्रार्थी की कयशुदा भूमि रकबा 2 बीघा का हिस्सा 1/9 भाग के बजाय कम रकबा 7.79है0 अनुसार हि0 7/324 भाग कर दिया है तथा प्रार्थी की जाति महाजन के बजाय ब्राहमण व प्रार्थी का निवास स्थान बी–9, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर जिला जयपुर के बजाय सा0देह जमवारामगढ कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी ने ग्राम जमवारामगढ के खसरा नम्बर 372 रकबा 4.5600है0 जिसके साबिका खसरा नम्बर 587 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि में हिस्सा 4/9 दर हिस्सा 1/4 भाग अर्थात रकबा 2 बीघा भूमि को जरिये पंजीकृत विकयपत्र के खरीद किया था। अतः ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 372 रकबा 4.5600है0 जिसके साबिका खसरा नम्बर 587 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/9 भाग अर्थात रकबा 2 बीघा अनुसार एवं प्रार्थी की जाति ब्राहमण के बजाय महाजन एवं प्रार्थी का निवास स्थान जमवारामगढ के बजाय बी–9, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, जिला जयपुर अनुसार दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी की जाकर रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी सं0 2 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1/पैरोकार सरकार ने अपने पत्रांक/एल0आर0/2025/5811 दिनांक 9.5.2025 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 1/पैरोकार सरकार ने जवाब मे निवेदन किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 372 रकबा 4.56है0 के गत

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

खसरा नम्बर 587 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा है। जमाबन्दी चौसाला संवत 2057—2060 के सीताराम, हीरालाल पि0 रामधन, गोदावरी बेवा रामधन हि0 7/36 मे से हि0 1/9 राजेश जयपुरिया पुत्र हंसराज जयपुरिया हि0 1/9 जाति महाजन निवासी 1—शिवमार्ग बनीपार्क जयपुर का नोट अंकित है। जो कि मुताबिक विकय पत्र 20109000031 दिनांक 24.06.2010 अनुसार सही है। सेटलमेंट खतौनी वर्तमान बनाते समय वादी का नाम व हिस्सा राजेश कुमार जयपुरिया पुत्र हंसराज जयपुरिया हि0 7/324 जाति ब्रा0 दर्ज कर दी गई तथा प्रतिवादीगण बैचानकर्ता सीताराम, हीरालाल व गोदावरी का हिस्सा प्रत्येक का 14/243, 14/243 कर दिया गया जो कि मुताबिक रिकार्ड अनुसार गलत है। अतः वादी का सही नाम जाति व हिस्सा, पता राजेश जयपुरिया पुत्र हंसराज जयपुरिया जाति महाजन हि 1/9 निवासी बी—9, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का हिस्सा प्रत्येक का हिस्सा 14/243 के बजाय 1/36, 1/36, 1/36 किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पैरोकार सरकार के जबाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत दुरूस्ती राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम जमवारामगढ, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 372 रकबा 4.56है0 के गत खसरा नम्बर 587 में प्रार्थी का नाम राजेश जयपुरिया पुत्र हंसराज जयपुरिया जाति महाजन हिस्सा 1/9, निवासी बी—9, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का हिस्सा प्रत्येक का हिस्सा 14/243 के बजाय 1/36, 1/36, 1/36 के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में अंकित कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 20.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर